November 1984 riots

1526. SHRI SUKOMAL SEN:
SHRIMATI KANAK MUKHERJEE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to punish the guilty persons found involved in November, 1984 Delhi riots; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI):

(a) and (b) Persons found guilty of committing offences during November, 1984 riots would be punished under the law. On the basis of the recommendations of Justice Ranganath Misra Commission of Inquiry, a Committee was set up by Delhi Administration to examine whether there were cases of omissions to register or properly investigate offences committed during November, 1984 riots, to recommend the registration of cases where necessary and to monitor the investigation thereof, and to follow-up cases already registered by the Police, etc.

1527. [*Transferred to the 13th May, 1988*].

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा नशीले पदार्थों का जब्त किया जाना

1528. **श्री शरद यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 और 1987-88 के वर्षों के दौरान सीमा शुल्क और उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ जब्त किये गये और जब्त किये गये नशीले पदार्थों का मूल्य कितना था ;

(ख) क्या इस प्रकार जब्त किये गये नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया जाता है या उनका प्रयोग किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये किया जाता है ; और

(ग) नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिये हमारे देश में सुसंगत कानून क्या हैं और सरकार इन नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिये क्या-क्या प्रयास कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) वर्ष 1985, 1987 और 1988 (अप्रैल तक) के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा नशीले औषध द्रव्यों की निम्नलिखित मात्रायें अभिगृहीत की गई थीं :—

सं.	नशीले औषध द्रव्य का नाम	मात्रा (किलोग्राम में)
	1986	
1.	अफीम	1,157
2.	हेरोइन	238
3.	हशीश	5,885
4.	गांजा	52,523
5.	मारफीन	143
6.	मेथाक्वालोन	684
	1987	
1.	अफीम	694
2.	हेरोइन	753
3.	हशीश	3,522
4.	गांजा	38,050
5.	मारफीन	83
6.	मेथाक्वालोन	747
	1988	
1.	अफीम	85
2.	हेरोइन	317
3.	हशीश	5,142
4.	गांजा	5,324
5.	मारफीन	1.5*
6.	मेथाक्वालोन	104

(*मारफीन को छोड़ कर अन्य सभी नशीले औषध द्रव्यों को निकटतम किलोग्राम में पूर्वांकित किया गया है। 1988 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

अभिगृहीत किये गये नशीले औषध द्रव्यों का सही-सही मूल्य निर्धारित नही किया जा सकता क्योंकि यह नशीले औषध द्रव्यो की शुद्धता, उनके उद्गम स्थान, उनकी स्थानीय मांग और आपूर्ति की स्थिति इत्यादि कारको पर निर्भर करता है।

(ख) उचित कानूनी कार्यवाहियों के पश्चात् जब जब्तशुदा नशीले औषध द्रव्य निपटान के लिये तैयार हो जाते है तो अफीम मारफीन को छोड़कर उन्हे नष्ट कर दिया जाता है । अफीम और मारफीन यदि वे पुनः उपयोग के लिये उचित पाई जाती है तो इनका आगे और संसाधन करने के लिये और ऐलकेलाइड निकालने के लिये प्रयोग किया जाता है।

(ग) नशीले औषध द्रव्य से संबंधित अपराधों के मामले सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और स्वापक औषध द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत दर्ज किए जा सकते हैं । स्वापक औषध द्रव्य और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को, जिसमें नशीले औषध द्रव्यों से संबंधित अपराधों के मामलों में कठोर दण्ड देने की व्यवस्था है, लागू करने के साथ-साथ केन्द्र और राज्यों द्वारा नशीले औषध द्रव्यों का अवैध रूप से धन्धा करने वालों/तस्करों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है । सरकार ने नशीले औषध द्रव्यों के अवैध धन्धे के विरुद्ध बहु-आयामी जोरदार निवारक उपाय शुरू किए हैं जिसमें अन्य बातो के साथ-साथ निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ बनाना, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, अधिकारियों और मुखबिरों के लिए उदार पुरस्कार योजना को अपनाना, पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग (सार्क के तत्वावधान में क्षेत्रीय सहयोग सहित) को सुदृढ़ बनाना शामिल है । उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्थिति पर लगातार निगरानी भी रखी जाती है ।

Bomb blast at Kapurthala Coach Factory

@1529. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Kapurthala Rail Coach Factory was rocked with a bomb blast the very first day when the first coach was flagged off recently; and

(b) if so, what are the details thereof stating the estimated loss, if any, suffered as a result thereof; the outcome of the inquiry made by Government into the incident and the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) According to the information furnished by the Government of Punjab a cracker type explosion of minor nature took place on 31st March, 1988 in a heap of clay about 300 yards away from the stage set up in the Railway Coach Factory, Kapurthala. No damage was caused on account of this explosion. A case under section 3|4 Explosives Act has been registered at Kapurthala in connection with this incident. Steps have been taken to strengthen security arrangements in the area.

Roads along the borders of Bangladesh.

1530. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Government of Assam are pressing for early completion on roads along the border of Bangladesh; and

(b) if so, the progress so far made in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) As a part of the measures to check

@Previously Unstarred Question 1007 transferred from the 4th May, 1988.